प्रेस नोट दिनांक 29.07.2024

थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली

जनपद चन्दौली के थाना शहाबगंज पुलिस द्वारा पिकअप वाहन मे क्रूरता पूर्वक लादकर 04 राशि गोवंश (दो गाय, 01 बछिया 01 बछड़ा) की बरामदगी करते हुए दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद चन्दौली में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई करने, अवैध मादक पदार्थ/पशु तस्करी के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए दिये गये निर्देशों के क्रम में अनिल यादव अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व आशुतोष क्षेत्राधिकारी चकिया जनपद चन्दौली के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान मिर्जा रिजवान बेग थानाध्यक्ष थाना शहाबगंज के कुशल नेतृत्व में शहाबगंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ठेकहा पुल के पास पिकअप से गोवशों को क्रूरतापूर्वक लादकर ले जाते समय 04 राशि गोवंशो को बरामद किया गया है और 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

पुलिस कार्रवाई-

दिनांक 28.07.2024 को थाना शहाबगंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्तियों द्वारा 01 पिकअप वाहन से 04 राशि गोवंशीय पशुओं (जिसमे से दो गाय, 01 बछिया 01 बछड़ा) को एक दूसरे की गर्दन मे रस्सी से बांधकर क्रूरता पूर्वक वाहन में लादकर अवैध परिवहन कर ले जाया जा रहा था सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस टीम द्वारा ठेकहा पुल के पास घेराबन्दी करके गोवंशों की बरामदगी करते हुए दोनो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं0 77/2024 धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनयम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता-

1.सत्येन्द्र कुमार सिंह पुत्र अयोध्या सिंह निवासी ग्राम अकोढी थाना भगवानपुर चौकी बेलांव जिला भभुआ कैमूर बिहार उम्र करीब 40 वर्ष

2.भागीरथी दूबे पुत्र स्व0 शोभनाथ दूबे निवासी ग्राम अकोढी थाना भगवानपुर चौकी बेलांव जिला भभुआ कैमूर बिहार उम्र करीब 65 वर्ष

<u>पूछताछ अभियुक्तगण-</u>

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ मे बताया गया कि यह दोनों गाय व उनके बच्चे वे सिकन्दरपुर से खरीदकर अपने घर(दूध के लिए) ले जा रहे थे तथा वाहन को दो हजार रूपये मे किराये पर लिए है।

<u>गिरफ्तारी व बरामदगी का दिनांक व समय-</u>

28.07.2024 को समय 22.10 बजे

<u>स्थान गिरफ्तारीः-</u>

ग्राम ठेकहा नहर पुल के पास थाना क्षेत्र शहाबगंज जनपद चन्दौली

<u>बरामदगी का विवरण–</u>

1- 04 राशि गोवंश (02 राशि गाय 01 राशि बछिया, 01 राशि बछड़ा)

2- महिन्द्रा बोलेरो पिकप मैक्स नं0- UP67BT1346

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम</u>

1. मिर्जा रिजवान बेग- थानाध्यक्ष थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
2. उ0नि0 संगम लाल द्विवेदी
3. का0 शिवकुमार यादव